न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 05/2018

GCMS No-2018/00005

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		हरीराम पुत्र श्री ठाकर राम जी विश्नोई मैसर्स – गुरू कृपा डेयरी गांव कानपुरा मैन चौहटा तहसील सुमेरपुर जिला पाली, निवासी साकड(सैलवानिया की ढाणी) तहसील साचौर जिला जालौर राज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश राजपुरोहित

–: निर्णय :–

दिनांक :- 01.09.22

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। दिनांक 23.02.2017 को दौराने गश्त मैसर्स गुरू कृपा डेयरी गांव कानपुरा मैन चौहटा तहसील सुमेरपुर जिला पाली पर गया जहां पर अप्रार्थी हरीराम विश्नोई उपस्थित मिले जिसे प्रार्थी ने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में दिया। अप्रार्थी की दुकान में 40 किलो घी जो दो बरनी प्रत्येक में 20–20 किलोग्राम घी था, जो आमजन को बिक्री के लिए रखा हुआ था, जिसमे मिलावट का शक होने पर मौके पर प्रपत्र 5 ए भरकर दिया दुसरे प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जाचं एफएसएसएक्ट के तहत ले रहा हुं। प्रपत्र 5ए पर प्रार्थी विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थित में वहा रखे घी मे से 2 किलोग्राम घी वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 780/– रूपये नकद विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की जिस पर गवाह, प्रार्थी एंव विक्रेता के हस्ताक्षर है। क्रयशुदा घी को विक्रेता एंव गवाहान के सामने चार भागो में विभक्त करके चार शीशी में बराबर मात्रा में लगभग प्रत्येक में 500 ग्राम घी लेकर प्रत्येक को एयर टाईट

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

बंद कर दिया और प्रत्येक पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी पाली का कोड व सिरियल नम्बर आर–631 अंकित कर नमुने का विवरण लिख दिया एवं प्रत्येक को नियमानुसार सीलबंद सीलमुहर किया एवं सभी पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। मौके पर विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष मौका फर्द तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाया व हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वंय ने भी पढकर, सुनकर व समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वंय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये, जिसे नियमानुसार स्वंय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 27.02.2017 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, खाद्य विश्लेषक एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर की जाचं रिपोर्ट संख्या एलएस/156/एक्ट/2017/159 दिनांक 07.03.2017 के अनुसार अप्रार्थी की दुकान से लिया गया घी का नमुना क्रमांक आर– 631 अमानक स्तर का (Sub Standard) पाया गया। विक्रेता हरिराम ने Sub Standard स्तर के घी का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जो एफएसएस एक्ट की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी की दुकान से लिया गया घी का नमूना जो जाचं हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया था उसमें विधिवत प्रक्रिया की पालना नही की गई है। अप्रार्थी एक कम पढा लिखा एवं ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जिसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी नही थी। इसलिए अप्रार्थी को दोषमुक्त कर उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण ड्रोप करने के आदेश प्रदान करावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थी की दुकान मैसर्स – गुरू कृपा डेयरी गांव कानपुरा मैन चौहटा तहसील सुमेरपुर जिला पाली से नमुना क्रमांक आर–631 खाद्य पदार्थ घी का नमुना लेते समय नियमानुसार नमुना प्रपत्र तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं समस्त कार्यवाही विक्रेता के सामने मौके पर हुई है, जिसकी ताईद मौका फर्द पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर से होती है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.02.2017 को अप्रार्थी की फर्म से खाद्य पदार्थ घी क्रय कर नियमानुसार विहित प्रक्रिया अपनाते हुए नमुना जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./156/एक्ट/2017/159 दिनांक 07.03.2017 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–631 को Sub-standard as it is not conform to the prescribed standards and provisions of Food Safety and Standards(Food products Standard and Food Additives) Regulation, 2011 माना है, जो

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ घी अमानक स्तर (Sub-standard) का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 10,0000/– अक्षरे एक लाख रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद ''0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि'' में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राज.)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 01.09.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राज.)